प्रेस नोट
दिनांक 17.03.2024, थाना को0तरबगंज

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरव वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 से सम्बन्धित गोवंशों की तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त कोमल कुमार उर्फ मण्टू सिंह पुत्र फेरु सिंह नि0 हिसावडा थाना सिंघावली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 05.03.2024 को थाना को0तरबगंज के उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु रात्रि क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि उदवतनगर डीहा पप्पू तिवारी के घर के पास कुछ गोवंशीय पशुओं को एक डी0सी0एम0 में बांधकर रखा गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी किया गया था तो 01 अदद डी0सी0एम0 न0 UP16FT8578, 04 अदद गोवंशीय पशु जिन्दा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 17.03.2024 को मु0अ0सं0-92/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, भादवि व 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 से सम्बन्धित गोवंश की तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त कोमल कुमार उर्फ मण्टू सिंह पुत्र फेरु सिंह नि0 हिसावडा थाना सिंघावली जनपद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. कोमल कुमार उर्फ मण्टू सिंह पुत्र फेरु सिंह नि0 हिसावडा थाना सिंघावली जनपद बागपत।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-92/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, भादवि व 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना को0तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01.उ0नि0 श्री उमेश कुमार वर्मा
02.हे0का0 इमरान अली
03. का0 नरेन्द्र सिंह

मीडिया सेल , गोण्डा ।

प्रेस नोट
दिनांक 17.03.2024, थाना को0नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोक सभा चुनाव 2024 व आगामी त्योहारो के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 80 ग्राम गाँजा) के साथ अभियुक्त अजीत पुत्र छेदीलाल निवासी छेदानगर थाना सतरीख जनपद बाराबंकी को मनकापुर बस स्टैण्ड उतरौला रोड के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 80 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0-156/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 17.03.2024 को थाना को0नगर के उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मनकापुर बस स्टैण्ड उतरौला रोड के पास पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 80 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त अजीत पुत्र छेदीलाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0स0- 156/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अजीत पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम छेदानगर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 156/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 किलो 80 ग्राम नाजायज गांजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह
02. का0 दीपक सिंह
03. का0 अवधेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>**प्रेस नोट**</u>

<u>**दिनांक 17.03.2024**</u>

लोकसभा समान्य चुनाव 2024 एंव आगामी त्योहारों के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा चलाये गए धरपकड़ अभियान के तहत 14 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा समान्य चुनाव- 2024 एंव आगामी त्योहारों को भयमुक्त वातारण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अराजक तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाकर अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में व समस्त क्षेत्राधिकारीगणों के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों द्वारा थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 14 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जिनका विवरण निम्न है- थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 04, थाना को0करनैलगंज पुलिस ने 04, थाना कटराबाजार पुलिस ने 02, थाना कौडिया पुलिस ने 03, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में लोकसभा समान्य चुनाव व आगामी त्योहारों को भयमुक्त वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अराजक तत्वों के विरूद्ध विशेष अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

<u>**मीडिया सेल, गोण्डा।**</u>

प्रेस नोट
दिनांक 17.03.2024 थाना को0करनैलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना को0करनैलगंज पुलिस द्वारा 03 अवैध देशी तमंचा के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा समान्य चुनाव 2024 व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 करनैलगंज पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अलग अलग स्थानों से 03 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ 03 अभियुक्तगण 01. भुल्लू 02. मुंशीराम व 03. विनोद को भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 01-01 अदद अवैध देशी तमंचा मय कारतूस बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना करनलैगंज में मु0अ0स0-118/2024, 119/2024, 120/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 17.03.2024 को थाना को0करनलैगंज की टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर मय फोर्स लोक सभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि टीमों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से अलग स्थानों से 03 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ 03 अभियुक्तगण 01. भुल्लू 02. मुंशीराम व 03. विनोद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 01-01 अदद अवैध देशी तमंचा मय कारतूस बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना करनलैगंज में मु0अ0स0- 118/2024, 119/2024, 120/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना करनलैगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. भुल्लू पुत्र हरीराम निवासी कमियार थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
02. मुंशीराम पुत्र ननकऊ ग्राम प्रतापपुर थाना- करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. विनोद पुत्र माताप्रसाद यादव निवासी कमियार थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 118/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 119/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 120/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 03 अदद देशी तमंचा मय कारतूस

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 राम प्रकाश चन्द्र
02. उ0नि0 आशीष कुमार
03. उ0नि0 सरफराज खाँ
04. हे0का0 दीपक मिश्रा
05. का0 प्रदीप कुमार सिंह
06. का0 सुभाष चन्द्र

मीडीया सेल, गोण्डा।